अध्याय III

अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय III
अनुपालना लेखापरीक्षा

जल संसाधन विभाग

3.1 राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 का कार्यान्वयन

3.1.1 परिचय

सिंचाई प्रणाली के नियोजन, संचालन और रख-रखाव में कृषकों के सहयोग से सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन एक सिंचाई प्रणाली के प्रभावी प्रबन्धन के लिए आवश्यक है। यह सामूहिक कार्यवाही उपयोगकर्ताओं, एजेन्सियों और सरकार के बीच संवाद के अवसर प्रदान करता है।

राजस्थान सरकार ने कृषकों के बीच पानी के वितरण को नियंत्रण करने के लिए राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 (अधिनियम) को उपस्थापित किया और अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 (नियम) भी बनाये। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जल संसाधन विभाग नोडल विभाग है।

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं

राजस्थान में वृहद[1], मध्यम[2] और लघु[3] सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना लागत और कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र[4] (सीसीए) निम्नानुसार है:

[1] वृहद सिंचाई परियोजना जहां 10000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र हो

[2] मध्यम सिंचाई परियोजना जहां 2000 से 10000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र हो

[3] लघु सिंचाई परियोजना जहां 2000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्र हो

[4] कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से आशय उस क्षेत्र से है जिसे किसी योजना से सिंचित किया जा सकता है और कृषि के लिए उपयुक्त है

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

परियोजना की प्रकृति	पूर्ण परियोजनाएं		चालू परियोजनाएं		
	संख्या	सीसीए (लाख हेक्टेयर में)	संख्या	सीसीए (लाख हेक्टेयर में)	अनुमानित लागत (राशि ₹ करोड़ में)
वृहद एवं मध्यम	119	33.69	12[5]	16.98	19659.80
लघु	14814[6]	4.83	47	0.52	152.00

स्त्रोत: जल संसाधन विभाग का प्रगति/प्रशासनिक प्रतिवेदन (2017-18)

अधिनियम में कहा गया है कि परियोजना प्राधिकारी जल उपयोगकर्ता क्षेत्र के रूप घोषित किये जाने के लिए प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र को हाइड्रोलिक आधार पर वर्णित करेगा। प्रत्येक जल उपयोगकर्ता क्षेत्र के लिए एक जल उपयोगकर्ता संघ होगा, जिसमें वो सभी जल उपयोगकर्ता शामिल होंगे जो सदस्य के रूप में ऐसे क्षेत्र में भूस्वामी हैं। अधिनियम में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्येक वितरण क्षेत्र के लिए एक वितरण समिति जिसमें दो या अधिक जल उपयोगकर्ता क्षेत्र शामिल हैं और परियोजना क्षेत्र के लिए एक परियोजना समिति बनाई जाएगी। विशेष जल उपयोगकर्ता क्षेत्रों में जल कर के हिस्से के रूप में संग्रहित सरकार से प्राप्त अनुदान एवं अन्य ऐसी निधियां जो राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए प्रदान की जा सकेगी जल उपयोगकर्ता संघों के संचालन के लिए निधियों का मुख्य स्त्रोत होगा।

3.1.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

वर्तमान लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 एवं नियम 2002 के प्रावधानों को राज्य में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा था।

3.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

विभाग में 13 मुख्य अभियंताओं, 39 अधीक्षण अभियंताओं और 72 अधिशाषी अभियंताओं (खण्ड) के कार्यालय हैं। इसके अलावा एक सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान भी है।

[5] इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज-।। में सम्मिलित

[6] पूर्ण लघु परियोजना के आंकड़ों में राज्य की योजनाएं के साथ ही अन्य योजनाएं शामिल है

वर्ष 2015-18 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा फील्ड अध्ययन फरवरी 2018 से मई 2018 तक किया गया था। जल संसाधन विभाग के चार मुख्य अभियंता[7] साथ में तीन अधीक्षण अभियंता[8] एवं अठारह अधिशाषी अभियंता[9] कार्यालयों के अभिलेखों की जांच की गई जिनमें 8.42 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिचिंत क्षेत्र था। 72 अधिशाषी अभियन्ता (खण्डों) कार्यालयों में से 12 खण्डों का चयन जल उपयोगकर्ता संघों के गठन के 50 प्रतिशत लक्ष्यों को पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अधिक जोखिम इकाईयों के रूप में किया गया। शेष 60 खण्डों में से, 10 प्रतिशत (छः खण्डों) का चयन आइडिया सॉफ्टवेर (IDEA Software) का उपयोग करके यादृच्छिक नमूना पद्धति द्वारा किया गया। 18 खण्डों में 867 जल उपयोगकर्ता संघों के गठन किये जाने के लक्ष्यों के विरूद्ध 519 संघों का गठन किया गया था।

नर्मदा नहर परियोजना के खण्डों का चयन इस अध्ययन में शामिल नहीं था क्योंकि इनसे सम्बन्धित आक्षेपों को वर्ष 2015-16 की निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था और यह 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन राजस्थान सरकार (प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2017) में प्रतिवेदित था। इसके अतिरिक्त सिंचाई प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा के अभिलिखों की जांच की गई जो जल उपयोगकर्ता संघों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.4 शीर्ष समिति का गठन

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम की धारा 35 (1) व 35 (2) के अनुसार राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नीतियों को निर्धारित करने और किसी भी कृषक संगठन को इस तरह के आवश्यक निर्देश देने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों एवं कार्यों का निष्पादन करते हुए एक सर्वोच्च समिति का गठन कर सकती है।

[7] मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़, मुख्य अभियंता सीएडी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर एवं मुख्य अभियंता (पूर्व) और अतिरिक्त सचिव सीएडी, जयपुर

[8] अधीक्षण अभियंता, बांध वृत्त देवली, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन, हनुमानगढ़ एवं जल उपयोगकर्ता संघों के एक नोडल अधिकारी के रूप में अधीक्षण अभियंता (निर्माण) जल संसाधन विभाग, जयपुर

[9] टीएमसी मोहनगढ, 16वां खण्ड बीकानेर, कोलायत लिफ्ट बीकानेर, केएसएल लूनकरनसर, घरसाना, छत्तरगढ, श्रीविजयनगर-I, श्रीविजयनगर-II, खण्ड-II हनुमानगढ़, खण्ड-I बांरा, झालावाड, कैनाल खण्ड-I बीसलपुर प्रोजेक्ट टोंक, उदयपुर, करौली, बांध खण्ड-I बांसवाडा, प्रतापगढ़, कैनाल खण्ड-I बांसवाडा एवं डीग

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सूचित किया गया (मई 2018) कि इस अधिनियम के अन्तर्गत परिकल्पित की गई शीर्ष समिति गठित नहीं की गई। आगे यह पाया गया कि जल उपयोगकर्ता संघों के विकास कार्यों हेतु शीर्ष समिति, यदि गठित हुई हो, द्वारा बैठक आयोजित करने से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

तथापि, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि शीर्ष समिति का गठन अधिनियम की धारा 35 (3) एवं 35 (4) के अन्तर्गत अक्टूबर 2002 में किया गया था। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि शीर्ष समिति का गठन अधिनियम की धारा 35 (1) एवं 35 (2) के अन्तर्गत किया जाना था, जबकि धारा 35 (3) एवं 35 (4) आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित है। इस तरह के महत्वपूर्ण मामले पर प्रदान की जा रही आरेखीय विपरीत जानकारी अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के कमजोर दृष्टिकोण को इंगित करती है।

3.1.5 अधिनियम के कार्यान्वयन में कमी

3.1.5.1 जल उपयोगकर्ता संघों का गठन एवं कार्य

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक जल उपयोगकर्ता क्षेत्र के लिए एक जल उपयोगकर्ता संघ होगा जिसमें सभी जल उपयोगकर्ता शामिल होंगे जो ऐसे क्षेत्र में भूस्वामी के रूप में सदस्य है।

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, कृषक संगठनों का उद्देश्य सिंचाई प्रणाली का पर्याप्त रख-रखाव, पानी के कुशल और किफायती उपयोग से अनुकुलित कृषि उत्पादन, पर्यावरण की रक्षा करना, और कृषकों को शामिल करके ईको संतुलन सुनिश्चित करना, जल बजट और परिचालन योजना के अनुसार सिंचाई प्रणाली के स्वामित्व की भावना सहित जल उपयोगकर्ताओं के बीच जल के सुदृढ वितरण को बढावा देना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि राज्य में मार्च 2018 तक 3107 जल उपयोगकर्ता संघों[10] के गठन के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल 2458 जल उपयोगकर्ता संघों का गठन किया गया। कुल 72 खण्डों में से चयनित 18 खण्डों में, 867

[10] नर्मदा नहर प्रणाली के लिए गठित होने वाले 2202 जल उपयोगकर्ता संघों को छोड़कर (मार्च 2018 तक 2052 गठित)। इस सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र पर राजस्थान सरकार के प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा आक्षेप सम्मिलित किये जा चुके हैं

जल उपयोगकर्ता संघों के गठन के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल 519 जल उपयोगकर्ता संघों (59.86 प्रतिशत) का गठन 16 खण्डों में किया गया (मार्च 2018) जबकि शेष दो खण्डों[11] में जल उपयोगकर्ता संघों का गठन नहीं किया गया। आगे लेखापरीक्षा जांच में विदित हुआ कि 16 खण्डों में गठित इन 519 जल उपयोगकर्ता संघों में से केवल पांच खण्डों में 275 जल उपयोगकर्ता संघ (53 प्रतिशत) कार्यशील थे। शेष 11 खण्डों के अन्तर्गत 244 जल उपयोगकर्ता संघ गठित किये गये थे लेकिन वे उनके अनिवार्य कार्यों का संचालन नहीं कर रहे थे जैसे कि वाराबन्दी[12] अनुसूची तैयार एवं कार्यान्वित करना, सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण, पुनरूद्धार, विस्तार, विभिन्न आउटलेट्स के बीच जल के उपयोग का विनियमन, उपयोगकर्ताओं से जल शुल्क की मांग एवं संग्रहण की तैयारी जैसा कि अधिनियम की धारा 17 में अधिनियमित था। अकार्यशील 244 जल उपयोगकर्ता संघों में से, 68 संघ राज्य सरकार द्वारा संघों को कार्य नहीं सोंपने, 101 संघ बजट की कमी एवं शेष 75 संघों के सदस्यों को अपर्याप्त प्रशिक्षण आदि कारणों से कार्यों को निष्पादित नहीं कर सके। इस प्रकार संघों को गठित नहीं करने और/ अथवा गठित जल उपयोगकर्ता संघों के अकार्यशील रहने से सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों में स्वामित्व की भावना के साथ उनकी सहभागिता का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे विभाग में संघों के गठन और कार्यों की निगरानी के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

कार्यशील 275 जल उपयोगकर्ता संघों के अभिलेखों की जांच में विदित हुआ कि इन जल उपयोगकर्ता संघों का कार्य संतोषजनक नहीं था जैसा कि निम्न प्रकार वर्णित है:

- अधिनियम की धारा 17 (क्यू) निर्धारित करती है कि प्रत्येक संघ नहर की मेढ़ों एवं तालाबों की मेढ़ों के वृक्षारोपण मार्ग को प्रोत्साहन देने का कार्य करेगा। खण्डों के अभिलखों की जांच में विदित हुआ कि पॉच खण्डों में इन 275 संघों द्वारा नहरों एवं तालाबों की मेढ़ों पर वृक्षारोपण कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया।
- नियम 47 प्रत्येक संघ द्वारा विभिन्न अभिलेख संधारण करना निर्धारित करता है। अभिलखों की जांच में विदित हुआ कि 275 जल उपयोगकर्ता संघों में रजिस्टर, सिंचाई प्रणाली की सूची एवं अन्य निर्धारित अभिलेख संधारित नहीं किये जा रहे थे।

[11] बांध खण्ड-I बांसवाडा एवं खण्ड डीग

[12] वाराबंदी से आशय अनुमोदित अनुसूची के अनुसार दिन, अवधि और आपूर्ति के समय को दर्शाते हुए बारी-बारी से पानी के उपयोगकर्ताओं को जल आवंटन के वितरण की एक प्रणाली है

➢ अधिशाषी अभियंता, कोलायत लिफ्ट खण्ड, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के अभिलेखों की जांच में यह भी विदित हुआ कि क्षतिग्रस्त पाईप लाईन, जल मार्गो (वाटर कोर्सेस) की मरम्मत का अभाव एवं डिग्गियों में जमा मिट्टी की निकासी न होने से सम्बन्धित शिकायतें कृषकों द्वारा दर्ज की गयी। यद्यपि, संघ स्थापित किए गए थे परन्तु कोलायत लिफ्ट खण्ड, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर में ये कार्य नहीं कर रहे थे। संघ द्वारा समुचित राजस्व प्राप्ति के अभाव में मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा था जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेद में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर सम्बन्धित खण्ड कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया कि मरम्मत एवं संधारण का कार्य इस उद्देश्य हेतु प्राप्त बजट आंवटन के पश्चात कराया जायेगा।
राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (अगस्त 2018) कि शेष संघों के गठन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही अवगत कराया गया कि कर्मचारियों की कमी एवं सिंचाई हेतु बांध में अपर्याप्त पानी के कारण संघ उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं।

3.1.5.2 परियोजना समिति एवं वितरण समिति का गठन

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम की धारा 6 और 8 के अनुसार दो या अधिक जल उपयोगकर्ता क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक वितरण क्षेत्र के लिए एक वितरण समिति और अधिनियम की धारा 18 एवं 19 में उल्लिखित कार्यों के लिए जैसा कि नीचे दर्शित है एक परियोजना क्षेत्र के लिए एक परियोजना समिति गठित की जावेगी:

अधिनियम की धारा 18 निर्धारित करती है कि वितरण समिति:

➢ प्रत्येक सिंचाई मौसम के प्रारम्भ में फसल पद्धति, मिट्टी, क्षेत्र, हकदारी पर आधारित एक संचालन प्लान तैयार करेगी;

➢ संचालन के अपने क्षेत्र में वितरण एवं मध्यम दोनों नालियों के वार्षिक मरम्मत, विस्तार, विकास, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का प्लान तैयार करेगी;

➢ विभिन्न जल उपयोगकर्ता संघों के मध्य संचालन के अपने क्षेत्र में जल उपयोग को विनियमित करना, जल उपयोगकर्ता संघों के आपसी विवादों का निपटान, जल उपयोगकर्ता संघों के अभिलखों का संधारण तथा सिंचाई प्रणाली सूची, जल आंवटन के मितव्ययी उपयोग आदि को बढ़ावा देना;

परियोजना समिति के कार्यों के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 19 निर्धारित करती है कि समिति निम्न कार्यों का अनुमोदन करेगीः

➢ प्रत्येक सिंचाई मौसम के प्रारम्भ में सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र के लिए इसकी हकदारी, मिट्टी, फसल प्रणाली पर आधारित सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार की गई एक संचालन योजना।

➢ प्रत्येक फसल मौसम के अन्त में अपने संचालन क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख नालों सहित सिंचाई प्रणाली के विस्तार, सुधार, नवीनीकरण, आधुनिकरण एवं वार्षिक मरम्मत की योजना।

➢ अधिनियम की धारा 19(बी) निर्धारित करती है कि परियोजना समिति सिंचाई प्रणाली के विस्तार, सुधार, नवीनीकरण, आधुनिकरण एवं वार्षिक मरम्मत योजना के अनुमोदन का कार्य करेगी।

लेखापरीक्षा में विदित हुआ कि राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 284 वितरण समितियों एवं 85 परियोजना समितियों के गठन किए जाने (मार्च 2018 तक) के विरूद्ध, केवल 159 वितरण समितियां एवं 34 परियोजना समितियां गठित की गयी जिससे वितरण समिति एवं परियोजना समिति के गठन में क्रमश: 125 (44 प्रतिशत) तथा 51 (60 प्रतिशत) की कमी रही। आगे चयनित 18 खण्डों में 73 वितरण समितियों तथा नौ परियोजना समितियों के गठन के लक्ष्य के विरूद्ध, मात्र 33 वितरण समितियों एवं दो परियोजना समितियों का गठन किया गया (अगस्त 2018 तक)।

➢ परियोजना समितियों के गठन में कमी (60 प्रतिशत) के कारण, यह सुनिश्चित नहीं होता है कि परियोजनाओं के तहत प्रमुख नालों के विस्तार, सुधार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई थी। अधिशाषी अभियंता खण्ड-।। हनुमानगढ़ में वार्षिक मरम्मत एवं संधारण कार्यों तथा सिंचाई प्रणाली से सम्बन्धित अन्य गतिविधियां के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। पांच खण्डों के 275 जल उपयोगकर्ता संघों के अभिलेखों की जांच में विदित हुआ कि यद्यपि, इन खण्डों में वाराबंदी अनुसूची तैयार की गई थी, तथापि, इस बात को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं थे कि वितरण समितियों के अभाव में, अपने संचालन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न संघों के बीच वाराबंदी की अनुसूची को विनियमित किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2018) कि स्टाफ की कमी एवं स्टाफ के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण वितरण एवं परियोजना समितियों का गठन नहीं किया जा सका।

3.1.5.3 कृषक संगठनों की उप समितियों का गठन

अधिनियम की धारा 11 के साथ नियम 2002 के नियम 53 के अनुसार, कृषक संगठन गठित कर सकते है:

- प्रशासन, वित्तीय एवं संसाधन उप-समिति, प्रशासनिक सुधारों और कृषक संगठन की वित्तीय सुदृढता को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को बढाने हेतु पद्धतियों की जॉच एवं सिफारिशें करेगी जो कृषक संगठन के बेहतर कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक थी;
- कार्य उप समिति (निर्माण उप समिति) मितव्ययी तरीकों और आवश्यक विशिष्टियों के साथ समय पर नियमित पर्यवेक्षण करते हुए कार्य करने हेतु।
- जल प्रबन्धन एवं कृषि उप समिति (सिंचाई उप समिति) का परियोजना/सक्षम प्राधिकारी से परामर्श कर जल प्रबन्ध गतिविधियों को बिना बाधा के वितरण के लिए सुनिश्चित करने हेतु।
- निगरानी, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण उप समिति सम्पूर्ण रूप से निगरानी एवं मूल्याकंन करने एवं कृषक संगठनों के कार्यों में आवश्यक किसी सुधार के लिए सुझाव देने हेतु।
- चक समिति जल के दक्षतापूर्ण वितरण और साधारण सभा की बैठक द्वारा लिए गए निर्णयों को चकवार लागू करने के लिए ।

लेखापरीक्षा जांच में विदित हुआ कि यद्यपि पांच खण्डों के 275 जल उपयोगकर्ता संघ कार्यशील थे परन्तु उपरोक्त दर्शित उप समितियों का गठन नहीं किया गया था। उप समितियों के गठन नहीं होने के कारण संसाधनों की बढोतरी और नियमित पर्यवेक्षण के साथ किफायती तरीकों से कार्य करने, जल प्रबन्ध गतिविधियों आदि के प्रयासों में कमी थी।

सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2018) कि संघों के अध्यक्षों द्वारा कार्यों में रूचि नहीं लेने के कारण उप समितियों का गठन नहीं किया जा सका।

3.1.5.4 बैठकों का आयोजन एवं लेखों की लेखापरीक्षा

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित नियम 39 के अनुसार, कृषक संगठनों (संघों) की सामान्य सभा की बैठक एक वर्ष में दो बार, एक बार खरीफ मौसम से पहले और एक बार रबी मौसम से पहले आयोजित होगी।

आगे नियम 45 के अनुसार, कृषक संगठनों के कार्यालय में संघों की प्रबन्ध समिति की तिमाही बैठकें होगी।

अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित नियम 51 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तथा नये वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से तीन माह के भीतर संघ ऐसे प्राधिकारी द्वारा और उस प्रणाली से अपने लेखों को लेखापरीक्षा किये जाने की व्यवस्था करेगा जैसा नियम में निर्धारित है।

चयनित खण्डों की लेखापरीक्षा के दौरान, बैठकों एवं लेखापरीक्षित लेखों का रिकॉर्ड मांगा गया परन्तु सम्बन्धित खण्डों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने बताया (अगस्त 2018) कि विभिन्न समितियों की बैठकों एवं कृषक संगठनों के लेखों की लेखापरीक्षा का रिकॉर्ड संघों द्वारा अपने स्तर पर रखा जाता है और उन्होंने विवरण सम्बन्धित खण्ड कार्यालयों को प्रस्तुत नहीं किया सिवाय एक खण्ड कार्यालय (हनुमानगढ़ खण्ड द्वितीय) के जहां संघ की बैठक का रजिस्टर मौजूद था परन्तु बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

खण्डों में बैठकों से सम्बन्धित सूचनाओं तथा संघों के लेखों का संधारण और लेखापरीक्षा की अनुपलब्धता यह दर्शाती है कि संघ के कार्यों को देखने के लिए खण्ड में कोई निगरानी तंत्र मौजूद नहीं था जिसके कारण संघों के लेखों का संधारण एवं समय पर लेखापरीक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.1.5.5 जल शुल्क का संग्रह

किसी भी संस्था की सफलता के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक हैं। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता में जल शुल्क का संग्रह जल उपयोगकर्ता संघों के वित्त पोषण का मुख्य स्त्रोत था। एक विशेष संचालन में एकत्र जल शुल्क संग्रह के हिस्से को विशेष संघ के लिए अनुदान के रूप मे आवंटित किया जाना था।

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम की धारा 17 में निर्धारित है कि संघों को जल शुल्क की मांग करनी चाहिए और जल शुल्क का संग्रह सुनिश्चित करना चाहिए। धारा 32 में प्रावधान हैं कि कृषक संगठन को देय या बकाया सभी राशि, यदि मांग पर भुगतान नही की जाती है तो उसे भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाना चाहिए।

राज्य सरकार[13] द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कृषकों से जल शुल्क संग्रहित किया जाना था।

नमूना परीक्षित 16 खण्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में जहां जल उपयोगकर्ता संघ गठित हुए थे विदित हुआ कि 12 खण्डों में संघों द्वारा जल शुल्क की मांग नहीं की गयी थी। जबकि शेष चार खण्ड़ों[14] में जल शुल्क की 73.70 प्रतिशत कम वसूली हुई थी। उत्तर में, सरकार ने आक्षेप स्वीकार किया एवं बताया (अगस्त 2018) कि ₹ 46.45 करोड़ की जल शुल्क की मांग के विरूद्ध,

[13] अधिसूचना संख्या-एफ 13 (4) आईआरजी/79 दिनांक 24/5/1999

[14] घरसाना, श्रीविजयनगर-I, श्रीविजयनगर-II एवं हनुमानगढ़-II

इन चार खण्ड़ों से 2015-16 से 2017-18 के दौरान ₹ 12.20 करोड़ (26.26 प्रतिशत) संग्रहित किये गये थे। यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2016 और 2017-18 के दौरान जल कर संग्रह स्थगित कर दिया गया था। 12 खण्ड़ों के सम्बन्ध में, यह बताया गया कि संघों द्वारा रूचि नहीं लेने के कारण एवं जल शुल्क की मांग नहीं किये जाने के कारण जल शुल्क की वसूली सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

3.1.6 संघों को अनुदान

3.1.6.1 संघों को अनुदान सहायता का हस्तान्तरण

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम की धारा 24 कृषक संगठनों के संसाधनों को निर्दिष्ट करती हैः

(i) कृषक संगठन के संचालन के क्षेत्र में एकत्र किये गए जल कर के हिस्से के रूप में सरकार से प्राप्त अनुदान।

(ii) ऐसी अन्य निधियां जो संचालन के क्षेत्र के विकास के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा दी जा सकती हो।

(iii) संचालन के अपने क्षेत्र में किसी भी आर्थिक विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए किसी वित्तीय एजेन्सी से प्राप्त संसाधन।

(iv) संचालन के अपने क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई प्रणाली से जुडी सम्पत्तियों एवं परिसम्पत्तियों से आय।

(v) सिंचाई प्रणाली के बेहतर प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रदान की गयी सेवा के लिए कृषक संगठनों द्वारा संग्रहित शुल्क, तथा

(vi) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि।

भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सिंचित क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम पर जारी (दिसम्बर 2013) दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत निर्वाचित संघों को एक मुश्त कार्यात्मक अनुदान ₹ 1200 प्रति हेक्टेयर की दर से केन्द्र, राज्य एवं किसानों के हिस्से के रूप में क्रमश: 540:540:120 में देय था। एक मुश्त कार्यात्मक अनुदान के रूप मे प्राप्त राशि संघों के बैंक खाते में सावधि जमा के रूप मे जमा की जावेगी तथा प्राप्त ब्याज का उपयोग संघों द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन में प्रयोग किया जायेगा।

अतिरिक्त आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर[15] द्वारा जारी निर्देशों (जुलाई 2014) के अनुसार अनुदान का भुगतान केवल उन्हीं संघों को किया जाना था जो पंजीकृत हो एवं जल वितरण से सम्बन्धित कार्यों को निष्पादित कर रहे हो। एक मुश्त अनुदान संघों के बैंक खातों में सावधि जमा के रूप में जमा कराया जाना था। कृषकों की हिस्सा राशि ₹ 120 प्रति हेक्टेयर की दर से जमा एवं संग्रहण के पश्चात ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 1080 प्रति हेक्टेयर जमा कराया जाना था।

नमूना जांच किए गए खण्ड़ों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि अधिशाषी अभियंता, कोलायत लिफ्ट खण्ड़ बीकानेर ने सात अकार्यशील संघों[16] को ₹ 0.81 करोड़ का अनुदान यह सुनिश्चित किये बिना कि कृषकों का हिस्सा जमा करा दिया था, हस्तान्तरित कर दिया।

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। हालांकि, विभाग ने उत्तर दिया कि सावधि जमा को खण्ड की अभिरक्षा में रखा गया, बैंकों को इन निर्देशों के साथ कि सावधि जमा के ब्याज को संघों को निर्मुक्त नहीं किया जायें। तथापि, तथ्य यह है कि अनुदान हस्तान्तरित करते समय इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 0.81 करोड़ सात अकार्यशील संघों को हस्तान्तरित किए गए थे।

3.1.6.2 केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत संघों को संस्थागत समर्थन

बीसलपुर सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना थी। भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत बीसलपुर सिंचित क्षेत्र विकास परियोजना के तहत गठित 53 संघों को संस्थागत समर्थन हेतु ₹ 4.91 करोड़ की राशि स्वीकृत की (अगस्त 2006)। अधीक्षण अभियंता, बांध वृत्त, बीसलपुर परियोजना देवली को वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में क्रमश: ₹ 0.50 करोड़ एवं ₹ 3.70 करोड़ आवंटित किये गये। लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि अधीक्षण अभियंता, बीसलपुर सीएडी वृत्त टोंक ने अधीक्षण अभियंता, बांध वृत्त, देवली को संघों के बैंक खाते खुलवाने के लिए निर्देश[17] देने में, जिससे कि राशि हस्तान्तरित की जा सके, सात महीने लगा दिये। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे विदित हुआ (मई 2018) कि अधीक्षण

[15] पत्र सं. एफ 8(8)प्रशिक्षण/सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन/2014-15/1521-23 दिनांक 14/7/2014

[16] सांवत माईनर-I, सांवत माईनर-II, ग्रांधी माईनर, तेजपुरा सब-माईनर, तेजपुरा माईनर, रामसिंह माईनर एवं ग्रांधी सब-माईनर

[17] पत्र संख्या 2160 दिनांक 4/10/2016

अभियंता, बांध वृत्त, बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा संघों के बैंक खाते खुलवाने की कार्यवाही आरम्भ करने में विलम्ब करने के कारण साथ ही बांध वृत्त के अंतर्गत दोनों खण्डों के अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा संघों को संस्थागत मदद उपलब्ध नहीं कराने के कारण सम्बन्धित खण्डीय कार्यालयों द्वारा राशि संघों के बैंक खातों में हस्तान्तरित नहीं की जा सकी। इस प्रकार बैंक खाते नहीं खुलने के कारण बांध वृत्त, बीसलपुर परियोजना के 53 संघों को संस्थागत मदद हस्तान्तरित नहीं की जा सकी परिणामत: ये संघ अकार्यशील रहे।

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

3.1.6.3 राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सावधि जमा राशि पर उपार्जित ब्याज का उपयोग

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भूमि सुधार के लिए 336 लघु सिंचाई परियोजनाओं को सहमति प्रदान की (दिसम्बर 2014)। परियोजना में संघों की स्थिरता के लिए 10 साल की अवधि हेतु अधिशाषी अभियंता (डब्ल्यू आर) एवं संघ के अध्यक्ष के संयुक्त नाम से प्रत्येक संघ के लिए ₹ 2 लाख की सावधि जमा प्रदान की गयी। सावधि जमा से प्राप्त ब्याज का उपयोग संघों द्वारा अपने प्रशासनिक खर्चो को पूरा करने और अधिनियम में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि 31 खण्डों के अंतर्गत 333 संघों के सम्बन्ध में ₹ 6.66 करोड़ की राशि जमा की गई थी। जांच मे विदित हुआ कि इन 333 संघों के द्वारा ₹ 1.12 करोड़ ब्याज की राशि (मार्च 2018 तक) प्राप्त की गयी। जिसमे से, आठ खण्डों के क्षेत्राधिकार में 136 संघों द्वारा उनके पास उपलब्ध ₹ 0.43 करोड़ में से केवल ₹ 0.15 करोड़ की ब्याज राशि उपयोग में ली गयी थी, जो कि इन खण्डों के पास उपलब्ध राशि का 5.18 प्रतिशत से 89.48 प्रतिशत के मध्य रहा। शेष 23 खण्ड़ों के 197 संघों द्वारा उनके पास उपलब्ध ब्याज राशि ₹ 0.69 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया। विवरण ***अनुलग्नक 3.1*** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2018) कि राशि का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि संघों द्वारा रूचि नहीं ली गई। यह भी बताया गया कि नियमानुसार ब्याज राशि को उपयोग में लेने हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

3.1.6.4 संघों द्वारा बजट तैयार करना

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 के नियम 55 के अनुसार, कृषक संघों द्वारा प्रत्येक खरीफ मौसम से पूर्व जैसा अधिनियम की धारा 24 में निर्धारित है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए संसाधनों के आधार पर अपना बजट तैयार करेंगे और सामान्य सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि सभी चयनित 18 खण्डों में संघों द्वारा जैसा अधिनियम की धारा 24 में निर्धारित है, बजट तैयार नहीं किया गया था।

3.1.7 संघों के चुनाव

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम की धारा 5 (1) के अनुसार, प्रत्येक जल उपयोगकर्ता संघ के लिए एक प्रबन्ध समिति होगी। धारा 5 (2) निर्धारित करती है कि परियोजना प्राधिकारी जल उपयोगकर्ता संघों के प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के चुनाव गुप्त बैलट पद्धति के द्वारा जैसा कि निर्धारित हो सदस्यों के बीच सीधे चुनाव की व्यवस्था करेंगे। अधिनियम की धारा 5 (5) के अनुसार, प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य यदि धारा 10 के तहत वापस नहीं बुलाया जाता तो प्रथम बैठक से पांच वर्षों तक कार्यरत रहेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि चयनित 18 खण्डों में से पांच खण्डों के 70 संघों की प्रबंध समिति के चुनाव पांच वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् भी नहीं किये गये थे परिणामस्वरूप निवर्तमान प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दो माह से 135 माह तक अधिक रहा। विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

संघ जहां चुनाव आयोजित नहीं किये गये

क्र. सं.	खण्ड का नाम	संघों की संख्या		अन्तिम चुनाव हुए	वर्ष जिसमें चुनाव कराये जाने थे
		गठन किया गया	जहां चुनाव समय पर आयोजित नहीं किये गये		
1	अ.अ., डब्ल्यूआर खण्ड-।।, हनुमानगढ़	30	19 05	2007 2011	2012 & 2017 2016

2	अ.अ., डब्ल्यूआर खण्ड, झालावाड	35	17 06 01	2007 2009 2012	2012 & 2017 2014 2017
3	अ.अ., डब्ल्यूआर खण्ड-I, बांरा	06	01	2009	2014
4	अ.अ., डब्ल्यूआर खण्ड, प्रतापगढ़	06	02 02 02	2009 2010 2013	2014 2015 2018
5	अ.अ., डब्ल्यूआर खण्ड, करौली	16	08 03 01 02 01	2006 2009 2010 2011 2012	2011 & 2016 2014 2015 2016 2017
योग		**93**	**70**		

स्त्रोतः खण्ड कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनायें

कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् संघों के चुनाव आयोजित नहीं कराना अधिनियम का उल्लंघन हैं।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2018) तथा बताया कि कर्मचारियों की कमी और बजट आवंटन के अभाव में चुनाव समय पर नहीं कराये जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किए गए आयुक्त के नियंत्रण एवं सामान्य देख-रेख में चुनाव कराये जाने थे। यद्यपि अधिनियम की धारा 35 (3) एवं (4) के अन्तर्गत आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी थी फिर भी समय पर चुनाव आयोजित कराना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार को समय पर चुनाव कराने हेतु कदम उठाने चाहिए क्योंकि चुनाव में देरी पदस्थ व्यक्तियों का एकाधिकार स्थापित करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है।

3.1.8 कार्यालय भवनों एवं फर्नीचर पर व्यय

संघों के प्रभावी संचालन के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में संघों के सुदृढीकरण के लिए कार्यालय भवनों के निर्माण की तत्काल आवश्यकता का आंकलन किया गया था।

लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि छः खण्डों[18] के 92 कार्यालय भवनों का निर्माण एवं फर्नीचर जैसे कि टेबिल, कुर्सियां आदि पर वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 2.23 करोड़ विभाग द्वारा व्यय किये गये।

[18] हनुमानगढ़-I, झालावाड, बारां खण्ड-I, प्रतापगढ़, करौली एवं भीलवाडा खण्ड-I।

हालाँकि, 92 भवनों में से, एक भवन को छोड़कर[19], कोई भी भवन बिजली कनेक्शन नहीं होने और/या जल उपयोगकर्ता संघों के अकार्यशील होने आदि कारणों से जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा उपयोग में नहीं लिया जा रहा था।



कार्यालय भवन
जल उपयोगकर्ता संघ
नम्बर-बी के 101, हनुमानगढ़
एक परिवार के द्वारा भवन का उपयोग निवास के रूप में किया जा रहा था।



कार्यालय भवन
जल उपयोगकर्ता संघ
मामचारी, करौली
कार्यालय के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा था।

स्त्रोतः लेखापरीक्षा दल द्वारा साईट विजिट के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2018) कि इन पांच खण्डों में, केवल एक संघ का कार्यालय भवन (बी के 101) को छोड़कर सभी भवनों एवं फर्नीचर का उपयोग, हनुमानगढ़ खण्ड के 29 भवनों सहित, संघों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार किया जा रहा हैं। राज्य सरकार ने करौली खण्ड के अंतर्गत भवनों के बारे में जवाब नहीं दिया। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि अधिशाषी अभियन्ता, हनुमानगढ़ खण्ड ने पुष्टि की थी कि 29 में से 28 भवन उपयोग में नहीं लिये जा रहे थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा दल द्वारा जल उपयोगकर्ता संघों के अध्यक्ष की उपस्थिति में खण्ड झालावाड़ और खण्ड बारां के अंतर्गत किए गए दो भवनों के संयुक्त निरीक्षण में तथा सम्बन्धित खण्डों के अधिकारियों ने भी पुष्टि की थी कि भवनों का उपयोग जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा नहीं किया जा रहा था।

[19] बी के 59, हनुमानगढ़

3.1.9 विभाग द्वारा सिंचाई प्रणाली पर मरम्मत/संधारण/नवीनीकरण पर व्यय

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम की धारा 17 (बी) के अनुसार, संघ अपने संचालन क्षेत्र में वितरण प्रणाली ओर खेत की नालियों के कार्य संघों की निधियों से निष्पादित किये जायेंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि चयनित 18 खण्ड़ों में से दो खण्डों के अंतर्गत 136 संघों में खण्ड कार्यालय से अनुदान के रूप में जल शुल्क के अपने हिस्से को प्राप्त करने के बावजूद, विभाग द्वारा ₹ 6.84 करोड़ का व्यय किया गया। विवरण नीचे दिया गया है:

सिंचाई प्रणाली के संधारण एवं संचालन पर किया गया व्यय

क्र.सं.	खण्ड का नाम	विभाग द्वारा वर्षवार किया गया व्यय			कुल व्यय (₹ करोड़ में)
		2014-15	2015-16	2016-17	
1	अ.अ., डब्ल्यूआर खण्ड, घरसाना	1.08	0.32	0.18	1.58
2	अ.अ., डब्ल्यूआर खण्ड-।।, श्रीविजयनगर	4.12	1.05	0.09	5.26
	योग	**5.20**	**1.37**	**0.27**	**6.84**

स्त्रोतः खण्ड कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनायें

राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

3.1.10 संघों को प्रशिक्षण

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 के नियम 57 (XII) निर्धारित करता है कि सक्षम प्राधिकारी संघों के सदस्यों एवं कृषक संगठनों द्वारा नामांकित अन्य व्यक्तियों को उनके कार्यों में निपुणता के लिए प्रशिक्षण में सहायता करेंगे। सिंचाई विभाग, राजस्थान सरकार[20] के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संघों के सदस्यों को अग्रिम प्रशिक्षण दिया जाना था ताकि जैसे ही परियोजना शुरू हो उनका संचालन हो सके। जल संसाधन विभाग के कार्मिकों/ कृषि विभाग एवं सिंचित क्षेत्र विकास सहित संघों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सिंचाई प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा का उत्तरदायित्व हैं।

[20] परिपत्र संख्या 3 दिनांक 23/7/1999

लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि सिंचाई प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा ने संघों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी और प्रशिक्षणों का आयोजन यादृच्छिक तरीके से किया गया था। आगे, चयनित खण्डों से प्राप्त सूचना में विदित हुआ कि 519 संघों में से 215 संघों के अध्यक्षों एवं सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2018) कि शेष संघों के अध्यक्षों एवं सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.1.11 संघों द्वारा अभिलेखों का संधारण

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 की धारा 30 के अनुसार संघों को निम्नलिखित अभिलेख संधारण करने चाहिये:

- अधिनियम की अद्यतन प्रति
- सिंचाई विभाग के परामर्श से तैयार किये गये संरचनाओं और वितरण लेख के साथ संघ क्षेत्र का मानचित्र
- सम्पत्तियों एवं देनदारियों का विवरण
- कार्यवृत्त विवरण पुस्तक
- प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर
- क्रय एवं विक्रय रजिस्टर
- माप पुस्तिका रजिस्टर लेवल फील्ड बुक, कार्य आदेश आदि
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट
- ऐसे सभी अन्य खाते, रिकॉर्ड एवं दस्तावेज जो समय-समय पर निर्धारित किये जा सकेंगे

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता नियम, 2002 के नियम 47 (XII) में निर्धारित है कि लेखों का उचित संधारण हेतु लेखा-अभिलेख यथा रोकडबही, रसीद बुक, वाऊचर फाईल, चेक रजिस्टर आदि का संधारण किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि चयनित 16 खण्डों में से, जहां संघों का गठन किया गया था उनमें से 12 खण्ड़ों में किसी भी संघ द्वारा निर्धारित अभिलेख संधारण नहीं किये गये और केवल चार खण्डों[21] के संघों द्वारा कुछ

[21] घरसाना, श्रीविजयनगर-I, श्रीविजयनगर-II एवं हनुमानगढ़-II

अभिलेख जैसे रोकड़ पुस्तिका, सिंचाई कर रोकड़ पुस्तिका, बैठक रजिस्टर, वाराबंदी अनुसूची तैयार की गयी थी।

आगे, विभाग के पास संघों के ऐसे अभिलेख/रजिस्टरों आदि के आवधिक सत्यापन हेतु अधिनियम की धारा 30 की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए कि ये अभिलेख संधारित किये जा रहे थे, कोई प्रणाली निर्धारित नहीं थी।

इसके अलावा, सम्बन्धित खण्डों के अधिशाषी अभियंता और संघों के अध्यक्ष के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार, राज्य सरकार से प्राप्त आय को दर्शाते हुए आय और व्यय और आय के विरूद्ध किये गये व्यय का विवरण संघों द्वारा संधारित किया जाना चाहिए और प्रत्येक माह सम्बन्धित खण्डों के अधिशाषी अभियंता को प्रस्तुत करना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि श्रीविजयनगर खण्ड-I में 99 संघों द्वारा अपने आय एवं व्यय का विवरण संधारित नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार सम्बन्धित खण्डों में आय-व्यय विवरण के मासिक प्रेषण सम्बन्धी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा सकी। लेखों के संधारण के अभाव में राजकीय धन के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा आक्षेप के उत्तर में, विभाग ने बताया (मार्च 2018) कि संघ द्वारा रोकड़ पुस्तिकाओं का संधारण किया जा रहा है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि केवल सिंचाई कर रोकड़ पुस्तिका जिसमें किसानों से जल कर प्राप्ति एवं राज्य सरकार को भुगतान का विवरण सम्मिलित है, संधारित की जा रही थी। तथापि, सम्बन्धित खण्डों के अधिशाषी अभियंता और संघों के अध्यक्ष के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार आय एवं व्यय के विवरण तैयार नहीं किये जा रहे थे। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2018) कि संघों को निर्धारित अभिलेख संधारण के लिए निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

3.1.12 निगरानी तंत्र

3.1.12.1 सिंचाई प्रबंध सहभागिता प्रकोष्ठ का गठन

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई प्रबंध में सहभागिता प्रकोष्ठ का गठन अधिशाषी अभियन्ता (निर्माण) की अध्यक्षता में दो सहायक अभियंताओं के साथ किया गया था। प्रकोष्ठ द्वारा सिंचाई प्रबंध सहभागिता प्रणाली से सम्बन्धित सभी गतिविधियों की निगरानी की जानी थी, जैसे परियोजना क्षेत्र एवं परियोजना अधिकारी की घोषणा, प्रत्येक संघ क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण, प्रत्येक संघ के सदस्यों की सूची तैयार करना, संघ और सदस्यों के चुनाव, नहरों के प्रबन्धन का सम्बन्धित संघों को हस्तान्तरण, प्रत्येक

संघ के चुने गये सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आदि। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि अधिनियम/नियम वर्ष 2000/2002 में अस्तित्व में आ गए थे, विभाग ने निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करने में आठ वर्ष का समय लिया।

पूछे जाने पर, विभाग ने बताया कि निगरानी प्रकोष्ठ के लिए पृथक से अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंताओं का पदस्थापन नहीं किया गया था। मुख्य अभियन्ता कार्यालय में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्य के रूप में निगरानी कार्य किये जाने के लिए अधिकृत किया गया था। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि प्रकोष्ठ में पृथक से अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंताओं का पदस्थापन नहीं करना मौजूदा आदेश (सितम्बर 2010) का उल्लंघन है। इसके अलावा, अभियंताओं से उनके दैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे संघों के कार्य की निगरानी करे तथा सिंचाई प्रबन्ध सहभागिता से सम्बन्धित मामलों में प्रभावकारी मार्गदर्शन प्रदान करें। यह अधिनियम के कमजोर कार्यान्वयन होने को परिलक्षित करता हैं, क्योंकि अन्य कमियों के साथ-साथ आवश्यक संख्या में संघों का गठन नहीं किया गया, जल शुल्क संग्रहित नहीं किया गया, निर्धारित समितियों एवं उप समितियों का गठन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2018) कि दिन प्रतिदिन की अत्यधिक कार्य गतिविधि के साथ-साथ अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता के पदों की कमी के कारण प्रबंध प्रकोष्ठ का गठन संभव नहीं हैं।

3.1.12.2 संघों की निष्पादन बेंचमार्किंग

संघों के निष्पादन आंकलन के लिए बेंचमार्किंग उपयोगी उपकरण हो सकते हैं संघ तुलनात्मक रूप से कैसे कार्य निष्पादित कर रहे है, ये मापने के लिए कि (अ) अच्छी तरह कार्य कर रहे संघों की तुलना में अन्य संघ कैसा कार्य कर रहे है, या (ब) स्थापित मानकों या मानदण्डों की तुलना में प्रदर्शन कैसा हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि विभाग में संघों के कार्य निष्पादन को मापने के लिए बेंचमार्किंग प्रणाली मौजूद नहीं हैं। उत्तर में राज्य सरकार ने पुष्टि की (अगस्त 2018) कि राज्य में संघों के निष्पादन को मापने के लिए कोई बेंचमार्किंग प्रणाली मौजूद नहीं हैं। कृषक संगठनों के प्रभावी कामकाज को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार उनके निष्पादन के आधार पर कृषक संगठनों को प्रोत्साहन एवं दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है।

3.1.12.3 संघों के माध्यम से जल आपूर्ति प्रणाली से सम्बन्धित अधिनियम/नियमों में कमी

कृषक अधिनियम, 2005 के द्वारा महाराष्ट्र सिंचाई प्रणाली प्रबन्धन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 7 उल्लेख करती है कि "*जल उपयोगकर्ता संघों के सिंचित क्षेत्र के परिसीमन पर उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत धारक या अधिभोगी को पानी की कोई आपूर्ति नहीं की जाएगी और संघों के माध्यम से ही पानी आपूर्ति की व्यवस्था सभी धारकों और ऐसी भूमि पर रहने वालों के लिए बाध्यकारी होगी*"। यह सिंचाई प्रबन्ध सहभागिता की प्रणाली को मजबूत करने और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान था।

हालांकि, राजस्थान में, जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था को न तो अधिनियम में और न ही नियमों में प्राविधित किया गया था। इसके अलावा, अधिनियम और नियमों में संघों के गठन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इस प्रकार जल उपयोगकर्ता संघों को मजबूत करने और राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता को वास्तव में प्रभावी बनाने के अवसर को विभाग ने गवां दिया।

3.1.12.4 समेकित आंकड़ों की उपलब्धता

अधिनियम के कार्यान्वयन एवं उचित योजना के लिए समेकित सूचनाओं यथा प्रत्येक खण्ड के अंतर्गत कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र एवं वास्तविक सिंचित क्षेत्र, वर्षवार जल उपयोगकर्ता संघों के गठन के लक्ष्य एवं उपलब्धियां, जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा वर्षवार जल कर की मांग एवं वसूली, खण्डवार जल की मांग एवं वितरण, संघों के कार्यशील/अकार्यशील की स्थिति आदि के विवरण का शीर्ष महत्व हैं। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम/नियमों में राज्य स्तर के अभिलेख/सूचनाओं को संधारित करने का कोई प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर कार्यालय में ऐसी सूचनाओं का संधारण नहीं किया जा रहा था। उत्तर में राज्य सरकार ने प्रारम्भिक तौर पर बताया (अगस्त 2018) कि समेकित आंकडे खण्ड द्वारा अपने स्तर पर संधारित किये जा रहे हैं। तथापि, लेखापरीक्षा का विचार हैं कि समेकित जानकारी के अभाव में, राज्य सरकार अधिनियम और नियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने की स्थिति में नहीं थी।

राजस्थान सरकार ने बताया कि संघों के स्थायी कामकाज के लिए इसने राज्य स्तर, जोन स्तर और परियोजना स्तर की टास्क फोर्स का गठन (फरवरी 2019)

किया है जो संघों की जानकारी दर्ज करने के लिए डेटाबेस सृजन और एकत्र करेगा ।

3.1.13 निष्कर्ष

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नीतियों को बनाने के लिए शीर्ष समिति का गठन नहीं किया गया। चयनित 18 खण्डों में, 867 संघों के गठन के लक्ष्य के विरूद्ध, 16 खण्डों में केवल 519 संघों का गठन किया गया, जबकि दो खण्डों में संघों का गठन नहीं किया गया। विभिन्न परियोजनाओं के लिए वितरण समितियों और परियोजना समितियों के गठन में महत्वपूर्ण कमी थी। इसके अलावा, पांच खण्डों में जहां संघ कार्यशील थे, उप समितियों का गठन नहीं किया गया।

यह भी देखा गया कि 16 खण्डों में, जहां संघ गठित किए गए थे, 11 खण्डों में संघ अपने अनिवार्य कार्यों को नहीं कर रहे थे। चार नमूना परीक्षित खण्डों में संघों का कार्य वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान असंतोषजनक था क्योंकि जल शुल्क की कुल मांग का 26.26 प्रतिशत ही कृषकों से संग्रहित किया गया था। संघों में वित्तीय प्रबन्ध और लेखा प्रणाली कमजोर थी, क्योंकि इस सम्बन्ध में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

संघों के चुनाव निर्धारित पांच वर्षों के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् नहीं कराये गए। विभागीय स्तर पर निगरानी प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी। सिंचाई प्रबन्ध सहभागिता से सम्बन्धित गतिविधियों की निगरानी के लिए कर्मचारियों की कमी के कारण प्रकोष्ठ ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था और जल उपयोगकर्ता संघों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन मापन मानदंड नहीं अपनाये गये थे।

सिफारिशें

- विभाग शीर्ष समिति का गठन कर सकता है जैसा कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम के तहत परिकल्पित किया गया है
- विभाग सभी परियोजनाओं के लिए जल उपयोगकर्ता संघों, वितरण एवं परियोजना समितियों के गठन के लिए कदम उठा सकता है।
- विभाग जल उपयोगकर्ता संघों की प्रभावी निगरानी के लिए सिंचाई प्रबंधन सहभागिता प्रकोष्ठ हेतु पृथक से कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर सकता है।
- विभाग संघों के कार्यालय उपयोग के लिए निर्मित भवनों के उचित प्रयोग को सुनिश्चित कर सकता है।

- विभाग जल उपयोगकर्ताओं से जल शुल्क के उचित संग्रह को सुनिश्चित कर सकता है ताकि संघों के सुचारू कामकाज के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था हो सकें।
- विभाग संघों के समय पर चुनाव सुनिश्चित कर सकता है।
- विभाग सभी हितधारकों के लिए आंकड़ों के संकलन एवं प्रकाशन पर विचार कर सकता है।

वन विभाग

3.2 ईको विकास अधिभार का अनुपयोजित रहना

प्रस्तावित ईको विकास परियोजना को मंजूरी देने में विफलता के कारण केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में आने वाले पर्यटकों से ₹ 16.12 करोड़ की ईको विकास अधिभार की राशि अनुपयोजित रही।

मार्च 1995 में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव ने पाया कि घाना पक्षी अभयारण्य में वसूली जा रही फीस काफी नगण्य थी, प्रवेश शुल्क/वीडियो शुल्क बढ़ाने और पर्यटकों के लिए शैक्षिक सामग्री के विकास करने, फिल्म बनाने के लिए, संचार उपकरणों की खरीद करने के लिए और दर्शकों को ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति की व्यवस्था जैसे विकास कार्यों के लिए एकत्रित धन का उपयोग करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। इस प्रयोजन के लिए, विकेंद्रीकरण और स्थानीय पहल की आवश्यकता पर बल दिया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि विदेशी नागरिकों के साथ-साथ भारतीय पर्यटकों से वीडियो कैमरा के लिए प्रवेश शुल्क/शुल्क बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु एक संस्था का गठन किए जाएं।

तदनुसार, वन विभाग (राज्य सरकार) ने ईको विकास[22] अधिभार की वसूली शुरू की और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर/सरिस्का और अन्य सभी अभयारण्य के लिए प्रवेश शुल्क भी अगस्त 1997 से बढ़ाया। यह राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25 मार्च 1998 से अधिसूचित की गई और समय-समय पर संशोधित की गई थी।

उप वन संरक्षक (डीसीएफ), वन्यजीव, भरतपुर के अभिलेखों (दिसम्बर 2017) की नमूना जांच से विदित हुआ कि अगस्त 1997 और मार्च 2018 के बीच ईको विकास अधिभार के रूप में ₹ 16.12 करोड़ एकत्र किए गए थे और बजट मुख्य शीर्ष 0406-01-800-(01) (ईको विकास से आय) के तहत राजस्व के रूप में जमा किये गये थे। राज्य सरकार के निर्देशों (अप्रैल 2007) के अनुसार, इस राशि को उपयोग में लेने के लिए ईको विकास परियोजना के अंतर्गत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं राज्य सरकार से अनुमोदन के बाद संस्था के खाते में पुन: विनियोजित किया जाना चाहिए। यह भी देखा गया कि यद्यपि, उप मुख्य

[22] ईको विकास गतिविधियों में पार्क क्षेत्र के साथ-साथ गांवों में पार्क की निकटता में सुरक्षा और विकास कार्य शामिल हैं जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देना, मवेशी की नस्ल में सुधार, जूलिफ्लोरा उन्मूलन, स्थानीय हस्तकला का प्रचार, आतिथ्य प्रशिक्षण और प्रकृति जागरूकता साथ ही प्रकृतिवादियों और ग्रामीण युवाओं आदि के लिए अंग्रेजी/विदेशी भाषा बोलने वाले पाठ्यक्रम

वन्यजीव वार्डन, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, भरतपुर ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान को विस्तृत ईको विकास परियोजना प्रस्तुत की थी (जनवरी 2011), इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इंगित करने पर (दिसम्बर 2017), उप वन संरक्षक, भरतपुर ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2017) कि यह राशि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और पास के गांवों के विकास पर खर्च की जानी थी, लेकिन नियमित पत्राचार के बाद भी, इस शीर्ष के तहत कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। हालांकि राशि एकत्र की गई थी, तथापि, राज्य सरकार द्वारा संस्था के खाते में निधि के विनियोग नहीं किये जाने के कारण ईको विकास गतिविधियों के लिए कोई खर्च नहीं किया गया है।

इस प्रकरण को राज्य सरकार को टिप्पणियों के लिए संदर्भित किया गया था (मार्च 2018 एवं अगस्त 2018)। वन विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने उत्तर (फरवरी 2019) में तथ्यों की पुष्टि की और सूचित किया कि उप वन संरक्षक, वन्यजीव, भरतपुर द्वारा ईको विकास सरचार्ज के उपयोग की योजना प्रेषित किये जाने के बाद भी राज्य सरकार ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ईको विकास सरचार्ज की राशि प्रदान नहीं की थी।

वन विभाग

3.3 वन उत्पादों के कीमत की वसूली का अभाव

उत्खनन में निकले वन उत्पाद (पत्थरों) की गलत कीमत लगाने के कारण ₹ 0.83 करोड़ की वसूली का अभाव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वन संभाग, बून्दी के अधिकार क्षेत्र के अधीन जयपुर से झालावाड के वर्तमान 2 लेन सड़क को 4/6 सड़क में उन्नयन करने और फिर बनाने हेतु 69.19 हेक्टेयर जमीन के परिवर्तन की अन्तिम मंजूरी जारी की थी (मई 2012)। अनुमोदन में यह निर्धारित किया गया था कि उत्खनन का भूमि सुधार कार्य राज्य वन विभाग के पर्यवेक्षण में किया जाना था और परियोजना के बंद होने से पहले वहां वन लगाना आवश्यक था। कार्य के दायरे में वन भूमि पर श्रृंखला माप 41180 से 42300 (1120 मीटर लम्बाई में) सुरंग बनानी थी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान सरकार ने आवश्यक निर्देश जारी किये थे (मई 2012) कि सुरंग से निकले पत्थर वन उत्पाद हैं तथा इनकी कीमत वन विभाग को उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी जिससे इनका प्रयोग वन्य जानवरों की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास हेतु किया जाएगा। वन उत्पाद की कीमत का निर्धारण नियमों के अनुसार किया जाएगा तथा प्राप्त राशि को कोषालय में जमा किया जाएगा।

सुरंग से निकाले गये पत्थर/अन्य सामग्री की कीमत निर्धारण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा मुख्य वन संरक्षक, कोटा की अध्यक्षता में एक समिति[23] का गठन किया गया (जनवरी 2013)। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उत्खनन सामग्री के अनुमानित डेटा (165226 घनमीटर) के आधार पर तथा अधिशाषी अभियंता, सानिवि खण्ड बून्दी के आंकलन पर (₹ 100 प्रति घनमीटर[24]) समिति ने अन्तरिम तौर पर ₹ 82.61 लाख की राशि वसूल करने की अनुशंषा की (जनवरी 2013)। समिति ने हार्ड रॉक की अनुमानित मात्रा तय करने के लिए मौजूदा बीएसआर 2010 की मद संख्या 3.9 (i) का प्रयोग किया और खोदी गई हार्ड रॉक के 50 प्रतिशत को उपयोगी माना। तदनुसार, 82613 घनमीटर अनुमानित हार्ड रॉक को ₹ 82.61 लाख[25] की राशि की गणना के लिए विचार किया गया। समिति ने आगे अनुशंषा की कि वन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सानिवि और खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा वास्तविक मात्रा

[23] सुरंग से प्राप्त होने वाली वन उपज के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षण और नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम, समिति का गठन किया

[24] अध्याय "सी" सामग्री का आइटम नम्बर एम-057

[25] 82613X100 = 82.61 लाख

तय की जा सकेगी और मूल्य में अंतर वसूल किया जा सकेगा। उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा ₹ 82.61 लाख की राशि जमा की गयी (नवम्बर 2012 और अप्रैल 2013)।

उप वन संरक्षक, बून्दी के रिकॉर्ड के नमूना परीक्षण (सितम्बर 2015) से विदित हुआ कि अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि, बून्दी द्वारा दी गई अंतरिम मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समिति द्वारा उपयोग किए गए गणना सूत्र अनुचित थे क्योंकि बीएसआर 2010 के आइटम 3.9 (i) के तहत 50 प्रतिशत का क्रेडिट आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने (सितम्बर 2015) पर उप वन संरक्षक, बून्दी ने जवाब दिया (सितम्बर 2015) कि खुदाई का काम पूरा होने के बाद, समिति के एक सदस्य ने निरीक्षण किया और सिफारिश की कि वास्तव में खुदाई की गई हार्ड रॉक की मात्रा 62405.75 घनमीटर मानी जा सकती है। तदनुसार, हार्ड रॉक की वास्तविक मात्रा के अनुसार ₹ 31.21 लाख (62405.75 घनमीटर के 50% @ ₹ 100 प्रति घनमीटर) की वसूली की जानी थी। चूंकि एजेंसी से ₹ 82.61 लाख पहले से ही वसूल किए जा चुके थे, उपयोगकर्ता एजेंसी को अतिरिक्त राशि जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने आगे इस मुद्दे का विश्लेषण किया और पाया कि प्राप्त किए गए हार्ड रॉक के लिए 50 प्रतिशत क्रेडिट प्रदान करने का समिति का निर्णय किसी नियमन/निर्धारित मानदंडों पर आधारित नहीं है। समिति को खुदाई में प्राप्त होने वाली हार्ड रॉक की मात्रा के आधार पर वसूल होने वाली कुल राशि की गणना करनी चाहिए थी। आगे, वसूली जाने वाली राशि पर चर्चा करने हेतु समिति के सदस्यों ने एक बैठक रखी (नवम्बर 2018) जिसमें पाया गया कि खनन अभियन्ताओं की रिपोर्ट (अक्टूबर 2018) के अनुसार, 144943 घनमीटर हार्ड रॉक अल्पावधि परमिट के तहत काम के लिए उपयोग किया गया जो दर्शाता है कि उप वन संरक्षक, बून्दी द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक मात्रा (62405.75 घनमीटर) सही नहीं थी। इसे देखते हुए समिति द्वारा 165226 घनमीटर की हार्ड रॉक की उत्खनन मात्रा मानते हुए ₹ 165.23 लाख की वसूली करना उचित पाया गया।

इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि ₹ 165.23[26] लाख होनी चाहिए और तदनुसार राशि ₹ 82.62 लाख (₹ 165.23 लाख - ₹ 82.61 लाख पहले ही जमा कराये गये) वसूल होनी बकाया थी।

[26] 165226×₹ 100 प्रति घनमीटर = ₹ 165.23 लाख

इस प्रकरण को राज्य सरकार को टिप्पणियों के लिए संदर्भित किया गया था (मार्च 2018 एवं अगस्त 2018)। वन विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने जवाब (फरवरी 2019) में तथ्यों की पुष्टि की और सूचित किया कि उपयोगकर्ता एजेंसी से राशि वसूलने के लिए ₹ 82.62 लाख की मांग की गई थी। राशि वसूलने की प्रक्रिया जारी है।

वन विभाग

3.4 क्षतिपूरक वनीकरण लागत की वसूली का अभाव

वन विभाग न तो राजस्व विभाग और शहरी सुधार न्यास, कोटा से वनीकरण कार्यक्रम के लिए भूमि प्राप्त कर सका और न ही सौंपी गई वन भूमि के लिए क्षतिपूरक वनीकरण की लागत वसूल कर सका, यथा शहर के चारों ओर ग्रीन बेल्ट का विकास एवं वृक्षारोपण नहीं किया जा सका।

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत कोटा शहर के विस्तार हेतु कोटा जिले में 1250 हेक्टेयर वन भूमि मुक्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ मंजूरी दी (जुलाई 1985):

(i) शहरी सुधार न्यास, कोटा को वन भूमि सौंपने की एवज में पहले भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रस्तावित 2380 हेक्टेयर राजस्व भूमि अधिसूचित की जाएगी।

(ii) परियोजना प्राधिकरण की लागत पर आवंटित भूमि में वृक्षारोपण किया जाये।

(iii) शहर के चारों ओर निर्मित सड़क के दोनों किनारों पर एक 50 मीटर ग्रीन बेल्ट बनाया जाये और पेड़ लगाए जाये।

शहरी सुधार न्यास, कोटा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के लिए ₹ 47.24 लाख जमा किये गये थे (जून 1990 और अप्रैल 1992)।

उप वन संरक्षक कोटा के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2016) में विदित हुआ कि पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त संख्या 1 का उल्लंघन करते हुए, वन विभाग के पक्ष में केवल 419.70 हेक्टेयर राजस्व भूमि हस्तांतरित की गई थी। शेष 1960.30 हेक्टेयर (2380.00-419.70) की भूमि आज तक हस्तांतरित नहीं की गई है। इसके अलावा, क्षतिपूरक

वनीकरण के लिए पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है तथा शहरी सुधार न्यास द्वारा ₹ 34.26 करोड़[27] रुपये जमा करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2016, जनवरी 2017 तथा नवम्बर 2017), विभाग ने स्वीकार किया (जून 2017 और अक्टूबर 2017) कि शेष 1960.30 हेक्टेयर की भूमि और ₹ 34.26 करोड़ की राशि उपयोगकर्ता एजेंसी से अभी भी वसूल की जानी है। यद्यपि उत्तर ने तथ्यों की पुष्टि की, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वोक्त उल्लिखित पत्र के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पहले ही वन भूमि के बदले में राजस्व भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाना आवश्यक था। इस महत्वपूर्ण शर्त का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप अब वन विभाग न तो क्षतिपूरक वनीकरण की लागत वसूलने में सक्षम हो पा रहा है और न ही बदले में शहरी सुधार न्यास और राजस्व प्राधिकारियों से आवश्यक भूमि प्राप्त कर पा रहा है।

इस मामले को राज्य सरकार को टिप्पणियों के लिए संदर्भित किया गया था (मार्च 2018)। उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.5 प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त इस्पात का उपयोग न करने के कारण अनियमित व्यय

विभागीय निर्देशों के उल्लंघन में, जो केवल प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त इस्पात के उपयोग को निर्धारित करते है, जालौर और नीम का थाना में सार्वजनिक निर्माण खण्डों ने भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय निर्माताओं से प्राप्त स्टील का उपयोग करने की इजाजत दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के अनियमित व्यय के साथ ही निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी से इनकार नहीं किया जा सकता।

मुख्य अभियंता, सानिवि, राजस्थान, जयपुर ने स्थानीय विक्रेताओं से प्राप्त स्टील की खराब गुणवत्ता के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सृजित संपत्तियों के जीवन और गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तथा निर्देश जारी किये (जुलाई 2012) कि भवनों और पुल कार्यों के निर्माण हेतु स्टील, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,

[27] 2380 हेक्टेयर × ₹ 145925 = 347301500 - 4724605 क्षतिपूरक वनीकरण की दर 1 जनवरी 2014 से ₹ 145925 प्रति हेक्टेयर पुनरीक्षित की गयी

टाटा टिसकॉन, एस्सार और जिंदल विजयनगर जैसे प्राथमिक उत्पादकों से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस शर्त को शामिल करने के लिए जुलाई 2012 से निविदाओं में अनुबंध की शर्तों में संशोधन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया था। आगे, मुख्य अभियंता ने निर्देशित किया (जनवरी 2013) कि अन्य इस्पात उत्पादकों से इस्पात की खरीद की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि कन्वर्जन एजेंट[28] के सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र जो दो साल से अधिक पुराना न हो, प्राथमिक उत्पादकों द्वारा दिया जाये, यह निर्दिष्ट करते हुए कि ऐसे स्टील उत्पादों का निर्माण प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त बिलेट्स से किया गया है और पुनर्निर्मित स्टील का उपयोग उत्पादन में नहीं किया गया है।

अधिशाषी अभियंता, सानिवि खण्ड नीम का थाना और अधिशाषी अभियंता, सानिवि खण्ड जालौर के अभिलेखों की नमूना जांच से विदित हुआ (दिसम्बर 2016 और मार्च 2017) कि इन खण्डों ने चार निर्माण कार्यों में प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त स्टील/बिलेट्स का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया और निर्देशों तथा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ₹ 1.24 करोड़[29] का व्यय अवमानक स्टील का क्रय करने में किया गया था। इस प्रकार प्राथमिक उत्पादकों से स्टील के गैर-उपयोग के कारण इन कार्यों की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है, इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से अवमानक स्टील का उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने (मार्च 2018 एवं मई 2018) पर राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जून 2018) कि:

- जालौर खण्ड के प्रकरणों में, केवल प्रीमियर ब्रांड टीएमटी बार का इस्तेमाल जालौर में उत्पाद थाना और सहायक उत्पाद कार्यालय भवन के निर्माण में और कृष्णा ब्रांड टीएमटी बार का इस्तेमाल जीवाणा में उप-तहसील भवन के निर्माण में किया गया था, जो प्रयोगशाला परिणामों और तीसरे पक्ष के परीक्षण के अनुसार गुणवत्ता मानकों के अनुसार था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि स्टील का निर्माण मूल बिलेट्स उत्पादकों से किया गया था।

- नीम का थाना खण्ड के प्रकरणों में, प्रीमियर ब्रांड टीएमटी बार का इस्तेमाल होद (खण्डेला) में सरकारी गर्ल्स कॉलेज बिल्डिंग के निर्माण में और

[28] कन्वर्जन एजेंट प्रमाणपत्र मूल निर्माताओं से स्टील निर्माताओं द्वारा प्राप्त एक प्रमाण पत्र है कि मूल उत्पादकों से खरीदे गए बिलेट्स से स्टील उत्पादों का निर्माण किया गया है

[29] ₹ 0.16 करोड़ + ₹ 0.31 करोड़ + ₹ 0.60 करोड़ + ₹ 0.17 करोड़ = ₹ 1.24 करोड़

शर्मा टीएमटी एफई 500 ब्रांड बार का इस्तेमाल नीम का थाना में सदर पुलिस थाना बिल्डिंग के निर्माण में किया गया था, जो एमएसएमई-परीक्षण स्टेशन पर आयोजित प्रयोगशाला परिणामों के अनुसार गुणवत्ता मानकों पर थे।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि निर्माण में प्रयुक्त स्टील निविदा दस्तावेज में दिए गए विनिर्देश के अनुसार नहीं था। आगे, कन्वर्जन एजेंट प्रमाणपत्र केवल मैसर्स प्रीमियर बार्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे भी 13/09/2007 को जारी किया गया था, जो दो साल से अधिक पुराना था और इसलिए उपरोक्त निर्दिष्ट परिपत्र के अनुसार निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करता है। यह भी देखा गया कि मैसर्स श्री कृष्णा रोलिंग मिल्स, जयपुर एवं श्री शर्मा स्टीलटेक (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, जयपुर को उपरोक्त निर्दिष्ट परिपत्र में स्टील के मूल उत्पादकों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था और उनके द्वारा भी कन्वर्जन एजेंट प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

3.6 उचित योजना की कमी से सड़क कार्य अपूर्ण रहा

नियमों और निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क कार्यों को शुरू करने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। इसके परिणामस्वरूप अपूर्ण सड़कों पर ₹ 2.07 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों का अनुच्छेद 6.12 यह निर्धारित करता है कि प्रस्तावित सड़क कार्यों को आरम्भ करने के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार/जिला पंचायत की जिम्मेदारी होगी। भूमि उपलब्धता के बारे में एक प्रमाणपत्र जो, प्रत्येक सड़क कार्य के प्रस्ताव के साथ अवश्य होना चाहिए। विवाद से बचने के लिए उपलब्ध भूमि का विवरण स्थानीय भूमि अभिलेखों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसके अलावा, दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 8.4 में यह निर्धारित किया गया है कि भूमि उपलब्धता (वन भूमि सहित) के मामले को हल करने के लिए, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) पर्याप्त अग्रिम प्रचार के पश्चात पंचायत/वार्ड के पटवारी तथा प्रधान/पंच के साथ एक अनौपचारिक 'ट्रान्सेक्ट वॉक' आयोजित करेगी। लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 351 में यह भी कहा गया है कि ऐसी भूमि पर कोई काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए जिसे जिम्मेदार सिविल अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सौंपी नहीं गयी हो।

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2011 और फरवरी 2014 के मध्य दो पैकेजों[30] के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी जारी की। क्षमता और क्षेत्राधिकार के अनुसार इन पैकेजों के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति नवम्बर 2011 और मार्च 2014 के मध्य जारी की गयी थी। कार्य 9 नवम्बर 2012 और 24 जून 2015 के मध्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के साथ विभिन्न संवेदकों के पक्ष में फरवरी 2012 और अगस्त 2014 के बीच कार्य/कार्य आदेश जारी करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। सड़कों के निर्माण पर ₹ 2.07 करोड़ का कुल व्यय किया गया था।

अधीक्षण अभियंता, सानिवि, वृत्त जालौर के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2015 और दिसम्बर 2016) में विदित हुआ कि बरवा से गाडी नाडी की सड़क

[30] आरजे-18-डब्ल्यू बी - 30 और आरजे-18-डब्ल्यू बी - बीएन - 06 कुल 5 सड़कें हैं

8.500 किमी के स्थान पर 6.700 किमी लम्बाई में बनाई गई थी और शेष लम्बाई के लिए जमीन की गैर-उपलब्धता और माननीय उच्च न्यायालय में मामले की लम्बितता के चलते काम वापस ले लिया गया था (अक्टूबर 2016)। नंदिया से चारवास रोड़ की सड़क जमीन की अनुपलब्धता के कारण 4.00 किमी की स्वीकृत लम्बाई की बजाय 3.10 किमी लम्बी निर्मित की गई थी। समीक्षा में आगे विदित हुआ कि इन सड़कों की तकनीकी प्रतिवेदनों में अधीक्षण अभियंता, सानिवि, वृत्त जालौर ने प्रमाणित किया था कि सड़क राजस्व भूमि से गुज़रती है; इसलिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2018) के दौरान, यह देखा गया कि दोनों सड़कों का अन्तिम छोर आबादियों से नहीं जुड़ा था। इसके अलावा, नंदिया से चारवास रोड़ की सड़क 3.100 किमी पर एक गेट खड़ा कर बंद कर दी गई और इसे एक कच्चे ट्रैक की तरफ मोड़ दिया गया था। सड़क पर गेट क्षेत्र के भूमि मालिकों द्वारा अपने खेतों की सुरक्षा के लिए रखा गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (मई 2018), राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जून 2018) कि:

- न्यायालय में मामले के कारण बरवा से गाडी नाडी तक सड़क पूरी नहीं हो सकी। गाडी नाडी आबादी सड़क से जुड़ी हुई है तथा इस सड़क पर किए गए व्यय निष्फल नहीं हैं।
- ट्रान्सेक्ट वॉक के दौरान किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं उठाई और ट्रैफिक के लिए कच्चा ट्रैक खुला था। हालांकि, बाद में क्षेत्र के मालिकों ने पूरी तरह से ट्रैक बंद कर दिया। सरपंच, ग्राम पंचायत, नंदिया ने सूचित किया (मार्च 2014) कि चारवास आबादी सड़क से जुड़ी हुई है और सड़क का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सड़क से अस्थायी गेट हटा दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना और लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधान के गैर अनुपालन के कारण सम्बन्धित अधिकारी सड़क के निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि की पहचान करने में असफल रहे। योजनाबद्ध सड़कों का निर्माण नहीं किया जा सका और इन प्रस्तावित सड़कों के अन्तिम छोर की आबादी को सभी मौसम में सम्पर्क प्रदान नहीं किया जा सका। यह सम्बन्धित अधिकारियों की तरफ से खराब योजना बनाए जाने का प्रतिबिंब था।

जल संसाधन विभाग

3.7 विभाग की लापरवाही के कारण अधिक भुगतान

विभाग मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एक प्रकरण हार गया जिसने संवेदक के पक्ष में राशि ₹ 12.05 करोड़ के मुआवजे का निर्णय किया। निर्धारित प्रक्रिया में घोर लापरवाही के कारण, विभाग ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जयपुर जो इस प्रकरण की सुनवाई के लिए सही न्यायिक मंच था, के बजाय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जोधपुर के समक्ष इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। परिणामस्वरूप, जोधपुर न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया तथा इस प्रक्रिया में अपील कालातीत हो गई। विभाग ने लम्बे समय तक कानूनी कार्यवाही जारी रखी जिसके परिणामस्वरूप और देरी हुई और विभाग ने अंततः संवेदक को राशि ₹ 27.06 करोड़ का भुगतान किया।

राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के अन्तर्गत जवाई नहर प्रणाली के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई क्षेत्र, जोधपुर ने मैसर्स मास्टर कंस्ट्रक्शन, खार, मुम्बई (संवेदक) की पेशकश को स्वीकार कर लिया। परियोजना के अन्तर्गत कार्यों को अगस्त 2005 तथा फरवरी 2007 के बीच पूरा होने की निर्धारित तारीख के साथ अधिशाषी अभियंता, जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत निष्पादित किया जाना था और मार्च 2006 तक तीन अपूर्ण कार्यों पर राशि ₹ 4.61 करोड़ का व्यय किया गया था। जबकि दो कार्य आरम्भ नहीं किये गये थे।

अप्रैल 2003 से, अतिरिक्त वस्तुओं की दरों के सम्बन्ध में, कई विवाद विभाग (जिसे पहले सिंचाई विभाग, तथा अब जल संसाधन विभाग के रूप में जाना जाता है) और संवेदक के मध्य हुए जैसे (i) मौजूदा चूने कंक्रीट अस्तर को ध्वस्त करना (ii) तले से कठोर चट्टान और नहर के ढलान पक्ष की छेनी (iii) श्रमिक कार्य के लिए अतिरिक्त श्रम दर आदि। इन विवादों का समाधान करने के लिए एक अधिनिर्णायक नियुक्त किया गया था (सितम्बर 2004) तथा अधिनिर्णायक ने उठाए गए सभी मुद्दों का विश्लेषण करते हुए, विभाग को इस प्रकरण को देखने तथा अंत में उनके स्तर पर निर्णय लेने की सलाह दी (सितम्बर 2005)। अधिनिर्णायक पक्ष के फैसले से असंतुष्ट होने के कारण, दोनों पक्षों ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया। संवेदक ने विभाग द्वारा किए गए वादों की पूर्ति नहीं करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष राशि ₹ 26.50 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया (अप्रैल 2006)। विभाग ने पानी के कारण कृषि उत्पादन की बर्बादी तथा पीने के पानी के नुकसान हेतु

राशि ₹ 59.73 करोड़ का मुकाबिल दावा प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2006)। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने विभाग द्वारा विस्तृत कार्य आरेखणों की आपूर्ति नहीं करने, स्थल के सभी हिस्सों के कब्जे आदि की अनुपलब्धता के आधार पर संवेदक के पक्ष में राशि ₹ 12.05 करोड़ का अधिनिर्णय पारित किया (दिसम्बर 2011)। न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ, विभाग ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जोधपुर के समक्ष अपील दायर की (मार्च 2012)। अपील को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया क्योंकि न तो विवाद का कारण और न ही मध्यस्थता सीट उनके अधिकार क्षेत्र में थी क्योंकि मध्यस्थता अधिनिर्णय जयपुर में पारित किया गया था। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अनुसार, मध्यस्थता अधिनिर्णय के तीन महीने पश्चात कोई अपील नहीं की जा सकती, इसलिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जोधपुर के निर्णय के पश्चात देरी को माफ करने हेतु जिला न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष आवेदन दायर किया (नवम्बर 2013) जिसे अयोग्य होने के कारण खारिज कर दिया गया था (दिसम्बर 2013)। इसके बाद में, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विभाग द्वारा दायर अपील को प्रभाव-रहित होने के कारण खारिज कर दिया गया (फरवरी 2015)। अंत में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने की विशेष इजाजत के साथ-साथ समीक्षा याचिका के लिए दायर याचिका भी खारिज कर दी गई (मई, जुलाई और अक्टूबर 2016)।

इस बीच, अतिरिक्त सत्र और जिला न्यायाधीश, जयपुर ने राशि जमा करने के लिए विभाग के खिलाफ डिक्री सह वसूली आदेश (सितम्बर 2016) और कुर्की वारंट (मार्च 2017) जारी किया। इन आदेशों की अनुपालना में, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के उप शासन सचिव ने न्यायालय में राशि जमा करने की मंजूरी (मार्च 2017) यह ध्यान में रखते हुए दी कि मामले में विभागीय लापरवाही थी और कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव 15 दिनों के भीतर भेजे जाएंगे। चूंकि विभाग द्वारा भुगतान करने में छः साल से अधिक की देरी हुई थी, भुगतान की जाने वाली राशि दोगुनी से अधिक हो गई। परिणामस्वरूप, विभाग को अतिरिक्त सत्र और जिला न्यायाधीश, जयपुर में राशि ₹ 27.06 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराना पड़ा (अप्रैल 2017)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2018), विभाग ने देरी के तथ्यों को स्वीकार कर लिया (जून 2018) लेकिन अपने अधिकारियों की किसी भी लापरवाही से इंकार कर दिया और कहा कानूनी विशेषज्ञों द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई और चूंकि कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, नियमों के अनुसार संवेदक को भुगतान किया गया था। आगे यह कहा गया (अगस्त 2018) कि यह कार्य

अन्य संवेदकों से निष्पादित कराया गया तथा राशि ₹ 31.86 करोड़ का कुल व्यय किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मामला मध्यस्थता न्यायाधिकरण, जयपुर द्वारा संवेदक के पक्ष में निर्णीत किया गया। विभाग ने गलत न्यायिक मंच पर अर्थात अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय, जयपुर के बजाय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय, जोधपुर में अपील दायर की। अपील खारिज हो गई और अपील करने में समय लगने के कारण विभाग इस अपील को उचित न्यायिक मंच पर प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि यह समय-बाधित हो गई थी। इस प्रकार संबंधित प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण विभाग ने 64 माह की देरी के बाद मध्यस्थता राशि का भुगतान किया और इसलिए राशि ₹ 15.01 करोड़ का अधिक भुगतान करना पडा।

अनादि मिश्र

(अनादि मिश्र)

महालेखाकार

जयपुर (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

दिनांक 2 JAN 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)

नई दिल्ली भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक 3rd January, 2020